



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग—II खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART—II Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381]  
No. 381]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 1979/भाद्र 29, 1901  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 1979/BHADRA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संविमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1979

क्र.सं. 537(घा):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के  
खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार  
(कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्न-  
लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक लो  
छतीसवां संशोधन) नियम, 1979 है।
- (2) ये इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसके बाद उक्त  
नियम कहा जाएगा) में—

(क) प्रथम अनुसूची में—

- (1) प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,  
अर्थात्:—

“5. शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

- (1) शिक्षा विभाग
- (2) संस्कृति विभाग”;

- (2) प्रविष्टि 19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी  
जाएगी, अर्थात्:—

“19क. समाज कल्याण मंत्रालय”;

- (3) प्रविष्टि 25 का लोप किया जाएगा;

(ख) उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में—

- (1) “शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत  
प्रविष्टियों में—

- (1) “शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय” शीर्षक  
के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा,  
अर्थात्:—

“शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय”;

- (2) “क शिक्षा विभाग” उप-शीर्षक के बाव, और उसके  
अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित  
उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—  
“ब, संस्कृति विभाग

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय; भारतीय संग्रहालय;  
भारतीय मुद्रा स्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया  
स्मारक और भारतीय मुद्रा स्मारक और ऐसी  
ही अन्य संस्थाएँ, जिनका वित्त पोषण  
पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया  
जाता हो और जो संसद् द्वारा राष्ट्रीय महत्व  
की संस्था विधितः घोषित की गई हो।
2. पुरातत्व, पुरातत्वीय संग्रहालय।
3. प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और पुरातत्वीय  
स्पल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा)  
अधिनियम, 1951; प्राचीन संस्मारक परिरक्षण  
अधिनियम, 1904.

4. विश्वविद्यालयों और ऐतिहासिक सोसाइटियों को उत्पन्नन कार्य के लिए अनुदान ।
  5. समास संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय ।
  6. स्वतंत्र आन्दोलन का इतिहास ।
  7. पुस्तक परिधान (लोक पुस्तकालय) अधिनियम तथा प्रेस और पुस्तकों का रेजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (वहाँ तक जहाँ तक केन्द्रीय सरकार को पुस्तकों और सूचीपत्र देने का संबंध है) ।
  8. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।
  9. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक प्रकाशकियाँ ।
  10. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय सन्दर्भ
  10. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; राजा पुस्तकालय, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबक्श ओरियन्टल लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति; राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; संग्रहालयों का साधारण विकास ।
  11. राष्ट्रीय नव कला भवन, नई दिल्ली ।
  12. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।
  13. निष्कात निधि; पुरावशेषों का निर्यात ।
  14. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएँ और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएँ ।
  15. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजोवियों को वित्तीय सहायता ।
  16. दान और पुर्त संस्थाएँ; इस मंत्रालय में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और कामिक विन्यास ।
  17. छात्रवृत्तियाँ जिनके अन्तर्गत वे छात्रवृत्तियाँ भी हैं जो इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्थापित की गई हैं ।
  18. आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास हेतु स्थैच्छिक संगठनों की वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए स्कीमें ।
  19. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।
  20. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।
  21. भारतीय-विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान
  22. विदेशों से सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियाँ ।
  23. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।
  24. विदेशों से सांस्कृतिक प्रतियोगियों की नियुक्ति ।
  25. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिल्प संघों आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।
  26. विदेश जाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिनके अन्तर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता आते हैं)
  27. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।
  28. विदेशों में पुस्तकालयों का स्थापन ।
  29. भारतीय नरेण्य प्रयोगों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।
  30. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमय के लिए करार ।
  31. विदेशों में भारतीय कला वस्तुएँ भेंट करना ।
  32. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।
  33. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तक-नर्तकियों संगीतज्ञों आदि का विनिमय ।
  34. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।
  35. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जलाबंदियों और वायि-कोल्सियों का मनाना ।
  36. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित प्रकाशन, जानकारी और आंकड़े ।
  37. इंटरनेशनल कांग्रेस आफ सोरियंटलिसिस्ट्स ।
  38. भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण ।
  39. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।
  40. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता ।
  41. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित ग्रन्थ मन्त्र संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या ग्रन्थ संगठन ।
- (3) "ध. समाज कल्याण विभाग" उपशीर्षक और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (2) "नौवहन और परिवहन मंत्रालय" शीर्षक और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—
- "समाज कल्याण मंत्रालय
- भाग-I
- निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत आते हैं:—
- कुछ नहीं
- भाग-II
- निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):
1. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, उस सीमा के विषय जितनी कि किसी अन्य विभाग को प्राबंठित कर दी गई हो ।

## भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अंतर्गत आते हैं जहाँ तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं :—

- निःशक्त और अनियोज्य व्यक्तियों की सहायता और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा से संबंधित उपाय, उस सीमा तक छोड़कर, जहाँ तक वे किस अन्य विभाग को आबंटित हैं।

## भाग-IV

साधारण और पारिणामिक :—

- समाज कल्याण, समाज कल्याण योजना, परियोजना बनाना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।
- कुटुम्ब कल्याण।
- स्त्री और बालक कल्याण और इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय।
- स्त्रियों और बच्चों के दुर्घटन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्राप्त प्रसंग।
- सामाजिक रक्षा में सम्बद्ध मामलों पर अन्य देशों के साथ अभिसमन्वय।
- प्राय विद्यालय बालकों की देखभाल।
- राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय। प्रावि-विद्यालय बालकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा।
- जरूरत मन्द बालकों को, जिनमें अनाथ बालक सम्मिलित हैं, देखभाल और विकास के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवाएं तथा अनाथालय।
- संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बालकों की आपात निधि (यूनिसेफ)।
- शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्तों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण।
- शारीरिक रूप से निःशक्त और मंदितमना लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान।
- राष्ट्रीय अन्ध केन्द्र, जिसमें केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय, देहरादून सम्मिलित है; वयस्क अधिर प्रशिक्षण केन्द्र तथा आंशिक रूप से अधिर बालकों का विद्यालय, हैदराबाद; मंदितमना बालकों का माडल विद्यालय नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय संस्थान।
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।
- सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- शिक्षावृत्ति, किशोर अपरागर्दी अपचारिता और कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिस्की एवरीश्वेर के अन्य कार्यक्रम।
- किशोर अपराधियों की परिक्षा।

- सामाजिक सुरक्षा के सभी मामलों पर अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, सूचना का आदान-प्रदान, और तकनीकी मार्ग दर्शन, जिसमें सुधारत्मक सेवाएं सम्मिलित हैं।
- तशावर्दी संबंधी सभी मामलों।
- मादक द्रव्य व्यसन के शिक्षा और समाज कल्याण संबंधी पहलू।
- इस विभाग को आबंटित विषयों में संबंधित पूर्ण और धार्मिक विन्यास।
- इस विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास।
- केन्द्रीय लोक सहयोग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान।
- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान।
- आर्टिफिशियल लिमि सैयुफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर (अलिमको)।
- केयर कोआपरेटिव फार अमेरिकन रेसिडेंट्स ऑफ यूरोप की गतिविधियों का समन्वयन।
- सूची में विनिश्चित विषयों में से किसी में संबंधित अन्य सभी मजकूर या अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।
- निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन:—

(क) स्त्री तथा लड़कों अर्थिक व्यापार दमन अधिनियम 1956,

(ख) अपराधी परिक्षा अधिनियम 1958 और

(ग) बालक अधिनियम, 1960”;

(iii) “संस्कृति विभाग” शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

नीलम संजीव रेड्डी  
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/4/79-संवि]  
के० सहस्र, संयुक्त सचिव

## CABINET SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1979

**S.O. 537(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-sixth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules)—

(a) in the First Schedule—

(i) for entry 5, the following entry shall be substituted namely:—

“5. Ministry of Education and Culture (Shiksha aur Sanskriti Mantralaya)

(i) Department of Education (Shiksha Vibhag);

(ii) Department of Culture  
(Sanskriti Vibhag);

(ii) after entry 19, the following entry shall be inserted, namely:—

“19A. Ministry of Social Welfare  
(Samaj Kalyan Mantralaya);”

(iii) entry 25 shall be omitted;

(b) in the Second Schedule to the said rules—

(i) in the entries under the heading “MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)”—

(1) for the heading “MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)”, the following heading shall be substituted, namely:

“MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (SHIKSHA AUR SANSKRITI MANTRALAYA);”

(2) after the sub-heading “A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)”, and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

“B. DEPARTMENT OF CULTURE  
(SANSKRITI VIBHAG)

1. National Library, the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum; the Victoria Memorial and the India War Memorial and any other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance.
2. Archaeology, archaeological Museums.
3. The Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951, Ancient Monuments Preservation Act, 1904.
4. Grants to Universities under historical societies for excavation work.
5. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.
6. History of Freedom Movement.
7. Delivery of Books (Public Libraries) Act and Press and Registration of Books Act (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).
8. Promotion of fine arts.
9. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.
10. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Raza Library, Rampur; Delhi Public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits; General Development of Museums.
11. National Gallery of Modern Art, New Delhi.
12. Acquisition of Indian and Foreign art objects.
13. Treasure Trove; export of antiquities.
14. Open-air theatres in rural areas and theatres in State Capitals.
15. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the Scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).
16. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt with in this Department.

17. Scholarships, including those offered by foreign Governments and foreign agencies in respect of subjects dealt with by this Department.
18. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of Modern Indian Languages.
19. Publication of rare manuscripts.
20. Grants to all-India Cultural Institutions.
21. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.
22. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.
23. Distribution of gift books received from abroad.
24. Appointment of Cultural Attaches abroad.
25. Visit of Cultural Delegations, etc. to India; sponsored and unsponsored.
26. Individuals (including cultural lecturers), sponsored by Government for visits abroad.
27. Presentation of books to foreign countries.
28. Establishment of libraries abroad.
29. Translation of Indian classics into foreign languages.
30. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.
31. Presentation of Indian art objects abroad.
32. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.
33. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.
34. Revision of Gazetteers.
35. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities.
36. Publication, information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.
37. International Congress of Orientalists.
38. Anthropological Survey of India.
39. National Archives of India.
40. National Council of Science Museums, Calcutta.
41. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.”;

(3) the sub-heading “B. DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN VIBHAG)” and the entries thereunder shall be omitted;

(ii) after the heading “MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

“MINISTRY OF SOCIAL WELFARE  
(SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)

Part I

The following subjects which fall within list I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

Nil.

Part II

The following subject which falls within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

1. Social Security and Social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.

## Part III

For the Union territories, the following subjects which fall within List II or List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India, in so far as they exist in regard to such territories :

2. Relief of the disabled and unemployable and measures relating to social security and social insurance, save to the extent allotted to any other Department.

## Part IV

General and Consequential :—

3. Social Welfare ; social welfare planning ; project formulation, research, evaluation, statistics and training.
4. Family Welfare.
5. Woman and child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.
6. References from the United Nations Organisation relating to traffic in women and children.
7. Conventions with other countries in matters relating to social defence.
8. Care of pre-school children.
9. Coordination of National Nutrition programme, Nutrition feeding of pre-school children and Nutrition education of women.
10. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans and orphanages.
11. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).
12. Education, training, rehabilitation and welfare of the physically and mentally handicapped.
13. National Institute for the physically Handicapped and Mentally Retarded.
14. National Centre for the Blind, including the Central Braille Press, Dehradun ; Training Centre for the Adult Deaf, and School for the partially deaf children, Hyderabad ; Model School for Mentally Re-

tarded Children, New Delhi and other national institutes.

15. Central Social Welfare Board.
16. Social and Moral Hygiene Programmes.
17. Beggary ; Juvenile vagrancy, delinquency and other CARE programmes.
18. Probation of Juvenile offenders.
19. Research, evaluation, training, exchange of information and technical guidance on all social defence matters, including correctional services.
20. All matters relating to prohibitions.
21. Education and social welfare aspects of drug addiction.
22. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.
23. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.
24. Central Institute of Research and Training in Public Co-operation.
25. National Institute of Social Defence.
26. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur (ALIMCO).
27. Coordination of activities of CARE.
28. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
29. Administration of the following Acts :—
  - (a) Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 ;
  - (b) Probation of Offenders Act, 1958 ; and
  - (c) Children Act, 1960.” ;
 (iii) the heading “DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)” and the entries thereunder shall be omitted.

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/2/4/79-Cab.]

K. SAIGAL, Jt. Secy.

